

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वाद संख्या :- 01/259/2013



दिनांक 09.04.2018

रामसहाय बनाम रामजीलाल वगैरा
दावा स्थाई निषेधाज्ञा

आज पत्रावली इकजाई पेशी 18/01/2018 से न्यायालय में पेश हुई। बार-बार आवाज दिलवाई गई। आज वकील वादी या स्वयं वादी उपस्थित नहीं है। आज उक्त प्रकरण में वकील वादी व स्वयं वादी की अनुपस्थिति साबित है ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(प्रताप सिंह, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)